

नाप-तौल उपकरणों के विक्रेता के लिये प्रदत्त अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण

करने के संबंध में आवेदन

(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत)

चरण-1	<u>आवेदन कब करें ?</u> नाप-तौल उपकरणों के विक्रय के लिये पूर्व प्रदत्त विक्रेता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराना हो।						
चरण-2	<u>आवेदन कौन कर सकता है ?</u> नाप-तौल उपकरणों के विक्रय के लिये पूर्व प्रदत्त विक्रेता अनुज्ञप्ति की बैद्यता खत्म होने के एक माह पूर्व आवेदन करे।						
चरण-3	<u>आवेदन प्रपत्र</u> मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 की अनुसूची- दो (Schedule- II) में प्रपत्र निर्धारित है <table border="1"><thead><tr><th>आवेदन का उद्देश्य</th><th>हिन्दी में प्रपत्र</th><th>अंग्रेजी में प्रपत्र</th></tr></thead><tbody><tr><td>विक्रेता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण हेतु</td><td>प्रारूप द घ - 2</td><td>RD - 2</td></tr></tbody></table>	आवेदन का उद्देश्य	हिन्दी में प्रपत्र	अंग्रेजी में प्रपत्र	विक्रेता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण हेतु	प्रारूप द घ - 2	RD - 2
आवेदन का उद्देश्य	हिन्दी में प्रपत्र	अंग्रेजी में प्रपत्र					
विक्रेता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण हेतु	प्रारूप द घ - 2	RD - 2					
चरण-4	<u>आवेदन के साथ दस्तावेज (स्कैन कर अपलोड करें)</u> <ol style="list-style-type: none">1. अनुज्ञप्ति की छायाप्रति।2. विगत 5 वर्षों में विक्रय किये गये उपकरणों की जानकारी।3. स्थापना का पंजीयन की छायाप्रति।4. वेट /केंद्रीय विक्रय कर / वृत्तिकर / आयकर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक।						
चरण-5	<u>आवेदन के साथ शुल्क ?</u> आवेदन के साथ मध्य प्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 की अनुसूची-चार में निर्धारित शुल्क। शुल्क रु. 500/- प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 5 वर्ष के नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदक को जमा करना होगा।						
चरण-6	<u>शुल्क कैसे जमा करें ?</u> ऑन लाईन आवेदन करते समय उपलब्ध Link से						

<p>चरण-7</p>	<p><u>आवेदन कैसे करें ?</u></p> <p>ऑन लाईन आवेदन हेतु लिंक -----</p> <p>STEP -1 : http://mpedistrict.gov.in/Public/citizen_login.aspx?param=Fy6/NM/PGwU=</p> <p>Link पर Click करें.</p>
<p>चरण-8</p>	<p><u>अनुमोदन की समय-सीमा ?</u></p> <p>ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में –</p> <p>प्रदत्त विक्रेता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण - 15 कार्य दिवस के अंदर</p>
<p>चरण-9</p>	<p><u>विक्रेता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण उपरांत नवीनीकृत अनुज्ञप्ति आवेदक कैसे प्राप्त करेगा ?</u></p> <p>STEP-1 : http://www.mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx Link पर Click करें.</p> <p>STEP-2 : इसके पश्चात <u>पंजियन आवेदन खोजें</u> पर click करें.</p>
<p>चरण-10</p>	<p><u>अपीलीय अधिकारी:-</u></p> <p>नियंत्रक नाप-तौल मध्यप्रदेश भोपाल</p> <p>अपील कब करें – आवेदक का आवेदन बगैर किसी कारण से निरस्त करने या समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर आवेदक अपील करेगा ।</p>
<p>चरण-11</p>	<p><u>डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र का सत्यापन:-</u></p> <p>STEP-1 : http://www.mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx Link पर Click करें.</p> <p>STEP-2 : <u>डिजीटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जांचे</u> पर click करें</p>

Form R D-2

[See rule 9 (2)]

Application for renewal Licence as Dealer in Weights & Measures under
the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011

To,

No.	To be filled by the Applicant	Comments of the inspection officer
(1)	(2)	(3)
1.	Name of the establishment / shop / person seeking the renewal of licence.	
2.	Dealer's Licence Number.	
3.	Date of establishment.	
4.	Name (s) and address (s) along with their father's / husband's name of proprietor (s) and /or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.	

5.	Registration Number and date of shop / establishment / current Municipal Trade Licence.		
6.	Details of weights and measures sold at present.		
7.	Registration Number of VAT / CST / Professional Tax / Income Tax.		
8.	Are you intending to import weights and measures from places outside the State / Country? If so, indicate sources of supply from the State (s) / Country (s) (Give details of manufacturer's trade mark / monogram and his licence number.)		

To be certified by the applicant (s)

Certified that I / We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Madhya Pradesh Legal Metrology Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued thereunder.

I / We have deposited the Scheduled licence fees of Rs.
(Rupees) to the Sub-Treasury / Bank on
....., and the original challan is enclosed.

All the information furnished above is true to the best of my/our
knowledge.

Place :	Signature and Name
Date :	

प्ररूप द घ-2
(नियम 9 (2) देखिये)

मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 के अधीन बांट तथा माप के व्यापारी के रूप में अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिये आवेदन.

प्रति,

.....

.....

क्रमांक	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
1.	अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहने वाले स्थापन / दुकान / व्यक्ति का नाम.	
2.	व्यापारी का अनुज्ञप्ति क्रमांक.	
3.	स्थापन की तारीख.	
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/अथवा भागीदारों और लिमिटेड कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक (निदेशकों) का/के नाम और पता (पते), उनके पिता/पति के नाम सहित.	
5.	दुकान/स्थापन/चालू नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और तारीख.	
6.	वर्तमान में बेचे गये बाँट और माप के ब्यौरे.	
7.	वेट / केन्द्रीय विक्रयकर / वृत्तिकर / आयकर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक.	
8.	क्या आपका, राज्य/देश के बाहर के स्थान से बांट तथा माप का आयात करने का आशय है ? यदि हां, तो राज्य	

(राज्यों)/देश (देशों) से प्रदाय के स्रोत बताइये। (विनिर्माता का व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम और उसकी अनुज्ञप्ति क्रमांक के ब्यौरे दीजिए).	
--	--

आवेदक/आवेदकों द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 को पढ़ लिया है और उसका और उसके अधीन जारी किये गये या जारी किये जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी पालन करने के लिये सहमत हूँ/हैं।

मैंने / हमने नियत अनुज्ञप्ति फीस के रूपये (रूपये
.....) उप-खजाना / बैंक में तारीख को जमा करा दिए हैं और मूल चालान संलग्न है।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।

स्थान :
तारीख :	हस्ताक्षर और पदनाम

कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) म.प्र. भोपाल

सेवा क्रमांक:- 34.16

आवेदन द्वारा विक्रेता अनुज्ञप्ति नवीनीकरण करने हेतु प्रस्तुत किये आवेदन पत्र पर नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान), विभाग द्वारा परीक्षण एवं तदोपरांत की जाने वाली कार्यवाही का फ्लोचार्ट :-

